



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ 1943 (श10)

(सं0 पटना 33) पटना, शुक्रवार, 21 जनवरी 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 जनवरी 2022

एस० ओ० 70, दिनांक 21 जनवरी 2022—बिहार माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियमावली, 2021 संख्या एस०ओ० 155, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 868, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के नियम 1 के उप-नियम 2 के अनुसरण में, बिहार राज्यपाल, 1 जनवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिसको उक्त नियमावली के नियम 2 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (6), के खंड (i) और उपनियम (7) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)133)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

21 जनवरी 2022

एस० ओ० 70, दिनांक 21 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)133)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 21st January 2022

S.O. 70, Dated 21st January 2022—In pursuance of sub-rule (2) of rule 1 of the Bihar Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2021, No. S.O. 155, published in the Bihar Gazette Extraordinary *vide* number 868, dated the 18th October, 2021, the Governor of Bihar, hereby notifies the 1st day of January, 2022, as the date from which the provisions of sub-rule (2), sub-rule (3), clause (i) of sub-rule (6) and sub-rule (7) of rule 2 of the said rules, shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12) 133)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 33-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>